(वाद संख्या–**863/19**)

17.02.2020

परिवादी, राजनन्दन सिंह, अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना व पुलिस अधीक्षक, नालन्दा से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, नालन्दा जिलान्तर्गत एकंगर सराय थाना के तत्कालीन पुलिस कर्मियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर, मानवाधिकार आयोग द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देश के विपरीत, दिनांक–01.12.2018 को परिवादी तथा उसके पुत्र, अरमेन्द्र कुमार को बिना विछावन और ओढ़ना दिये पुलिस (थाना) हाजत में प्रताड़ित करने से संबंधित है।

पुलिस अधीक्षक, नालन्दा, बिहार शरीफ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी का अपने सगे भाई से विवाद है। इस विवाद के आलोक में परिवादी के सगे भ्राता, चन्द्र मौलेश्वर सिंह, पुत्र केश्वर सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर, परिवादी, उसके पुत्र व पुत्री के विरूद्ध गाली–गलौज व मार–पीट करने तथा पॉकेट से रुपया ले लेने के आधार पर भा0द0स0 की धाराओं 341/323/379/307/504/34 के अन्तर्गत एकंगर सराय थाना कांड सं0–234/18 संस्थित किया गया। अनुसंधान के क्रम में उपरोक्त कांड में परिवादी व उसके पुत्र की संलिप्तता को प्राथमिकी में लिखित धाराओं के अन्तर्गत सत्य पाया गया । अनुसंधान के क्रम में परिवादी तथा उसके पुत्र को गिरफ्तार कर एकंगरसराय थाना हाजत में रखा गया तथा द0प्र0स0 में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में दूसरे ही दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक, नालन्दा द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया है कि दूसरी तरफ परिवादी, राजनन्दन सिंह, के लिखित आवेदन के आधार पर उनके भाई, चन्द्र मौलेश्वर सिंह, भतिजा, सनोज कुमार व भतीजी, प्रिया कुमारी के विरूद्ध उसी दिन गाली–गलौज व मार–पीट की घटना को लेकर एक प्रतिकांड एकंगर सराय थाना कांड

संख्या–235/18, संस्थित किया गया जिसमें अनुसंधानोपरान्त परिवादी के भाई व भतीजा के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं 341/323/504/34 के अन्तर्गत उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया। पुलिस अधीक्षक, नालन्दा द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त दोनों कांडों के प्राथमिकी अभियुक्तगण वर्त्तमान में जमानत पर हैं।

आज सुनवाई के क्रम में परिवादी यह स्वीकार करते हैं कि थाना हाजत में उसके या उनके पुत्र को शारीरिक रूप से कोई यंत्रणा नहीं दी गयी थी। मात्र उनकी यह शिकायत है कि हाजत में उन्हें उनकी उम्र को देखते हुए समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया। परिवादी की यह भी शिकायत है कि उसके लिखि आवेदन में चोरी से सम्बन्धित तथ्य उल्लेखित रहने के बावजूद पुलिस द्वारा एकंगरसराय थाना कांड संख्या 235/18 में प्राथमिकी की धाराओं में भा0द0सं0 की धारा 379 नहीं जोड़ा गया।

अब, जबकि प्रसंगाधीन दोनों कांड, अनुसंधानोपरान्त न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो ऐसी परिस्थिति में परिवादी संबंधित न्यायालय से अपने तथा अपने पुत्र के मिथ्या अभियुक्तिकरण के सम्बन्ध में वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

प्रसंगााधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक